न्यायालय सहायक कलक्टर, (SDO) बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी :– श्री नीरज मिश्र आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 39/2019

वादीगण	बनाम	प्रतिवादी
1 हनुमानराम 2 ठाकराराम 3 देवाराम 4 तुलसाराम पिसरान सिमरथाराम जाति जाट निवासी मायलो का डेर (खुडासा) तहसील व जिला बाड़मेर।		1 सिमरथाराम पुत्र खुबाराम जाति जाट निवासी मायलों का डेर (खुडासा) तहसील व जिला बाड़मेर

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 RTA Act.

उपस्थिति :– 1. श्री वीरमाराम चौधरी वकील वादीगण।

निर्णय

दिनांक 30/07/19

संक्षिप्त में वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद कथन इस प्रकार है कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 खुबाराम के वंशज है तथा हिन्दु होने से हिन्दु विधि से शासित है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 की पैतृक खातेदारी की भूमि मौजा मायलों का डेर पटवार क्षेत्र खुडासा तहसील व जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 307/257 रकबा 41.08 बीघा भूमि आई हुई है। वादग्रस्त भूमि खुबाराम के देहान्त के पश्चात सोनाराम, रामचन्दराम और सिमरथाराम के नाम दर्ज हुई, जिसमें से उक्त वादग्रस्त भूमि सिमरथाराम के हिस्से में आई, जिस पर वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 का कब्जा काश्त है। वादीगण, प्रतिवादी संख्या 01 सिमरथाराम के विधिक वारिस है। वादीगण का वादग्रस्त भूमि में जन्म से ही हित निहित हो गया है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 प्रत्येक का वादग्रस्त भूमि में 1/5–1/5 हिस्सा खातेदारी का बनता है, जिसे घोषित करवाने की वादीगण अधिकारी है।

प्रतिवादी सिमरथाराम की और से वाद कथन को स्वीकार करते हुए ईकबाली जवाब एवं राजीनामा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि पैतृक है। वादीगण, प्रतिवादी सिमरथाराम के वंशज होने के कारण पैतृक भूमि में वादीगण प्रत्येक का भी 1/5–1/5 हिस्सा जन्म से निहित है। वादीगण को उक्त भूमि में प्रतिवादी सहखातेदार घोषित कर 1/5–1/5 हिस्सा घोषित किया जाता है तो उसे कोई आपति नही है। प्रतिवादी सिमरथाराम की पहचान पटवारी हल्का जाखड़ो की ढाणी ने दी।

वादीगण द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य शपथ पत्र सामिल मिसल किया गया। वादीगण द्वारा शपथ पत्र में अंकित किया कि वाद पत्र में अंकित समस्त कथन सही है।

वकील वादीगण की ईकतरफा बहस सुनी गई। वकील वादीगण द्वारा वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि पैतृक भूमि है। पैतृक भूमि मे वादीगण का जन्म से हिस्सा निहित है। लिहाजा वादीगण को प्रतिवादी सिमरथाराम के साथ सहखातेदार घोषित करते हुए प्रत्येक का 1/5–1/5 हिस्सा घोषित किया जावे।

सहायक कलक्टर

(SDO) बाड़मेर

Scanned by CamScanner

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के संलग्न दस्तावेज खतौनी नामान्तकरण संख्या 102 दिनांक 10.08.1979 का भी अवलोकन किया गया। उक्त दस्तावेजात के आधार पर वादग्रस्त भूमि पैतृक होना प्रमाणित है तथा पैतृक भूमि में वादीगण का हिस्सा जन्म से निहित है। माफिक राजीनामा वादीगण अपना हिस्सा घोषित करवाने के अधिकारी है।

अतः वादीगण का वाद माफिक राजीनामा स्वीकार किया जाकर मौजा मायलों का डेर पटवार क्षैत्र खुडासा तहसील व जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 307/257 रकबा 41.08 बीघा भूमि में वादीगण को प्रतिवादी सिमरथाराम के साथ सहखातेदार घोषित किया जाकर वादीगण एवं प्रतिवादी सिमरथाराम प्रत्येक का 1/5–1/5 हिस्सा खातेदारी का घोषित किया जाता है। तहसीलदार बाडमेर तदनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन करें। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करे। डिकरी पर्चा मुर्तिब हो। पत्रावली सुमार फैसल होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नीरज मिश्र)
उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलक्टर
बाड़मेर

निर्णय आज दिनांक 30-7.18 को सरें इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलक्टर
(SDO) बाड़मेर

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बाड़मेर

पीठासन अधिकारी श्री नीरज मिश्र (आर.ए.एस.) अन्तिम डिक्री

अनवान

वादीगण	बनाम	प्रतिवादी
1 हनुमानराम 2 ठाकराराम 3 देवाराम 4 तुलसाराम पिसरान सिमरथाराम जाति जाट निवासी मायलों का डेर (खुडासा) तहसील व जिला बाडमेर।		1 सिमरथाराम पुत्र खुवाराम जाति जाट निवासी मायलों का डेर (खुडासा) तहसील व जिला बाडमेर

दावा बाबत् 88 रा.का.अ.

मुकदमा नम्बर :– 39 / 2019

निर्णय दिनांक :- 30.7.18

वकील वादीगण की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 30.07.18 को श्री नीरज मिश्र, सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बाडमेर के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और अन्तिम डिकरी निम्नप्रकार दी जाती है कि :–

वादीगण का वाद माफिक राजीनामा स्वीकार किया जाकर मौजा मायलों का डेर पटवार क्षैत्र खुडासा तहसील व जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 307 / 257 रकबा 41.08 बीघा भूमि में वादीगण को प्रतिवादी सिमरथाराम के साथ सहखातेदार घोषित किया जाकर वादीगण एवं प्रतिवादी सिमरथाराम प्रत्येक का 1/5–1/5 हिस्सा खातेदारी का घोषित किया जाता है। तहसीलदार बाडमेर तदनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन करें। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करे।

यह आज तारीख 30.7.18 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(नीरज मिश्र)
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर, बाडमेर

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1 वाद पत्र के लिए स्टाम्प			
2 शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
3 प्रदर्शो के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्सप	
4 .... रूपये पर प्लीडर की फीस		प्लीडर की फीस	
5 साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय		साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
6 कमिश्नर की फीस		आदेशिका की तामील	
7 आदेशिका की तामिल		कमिश्नर की फीस	
जोड़		जोड	